

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

अंतिम तारीख : 09.05.2016

केओसुब में आरक्षक/ट्रेड्समेन की भर्ती - 2016

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वेतन बैड -1 5200-20200रु + ग्रेड वेतन 2000रु तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य तथा अनुमत्य भत्तों सहित, नाई, मोची, रसोईया, माली, पेंटर, सफाईवाला तथा धोबी के ट्रेड में निम्नलिखित आरक्षक/ट्रेड्समेन के अस्थाई पदों को भरने के लिए भारतीय पुरुष नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये केओसुब अधिनियम और नियमों के साथ-साथ बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों तथा समय-समय पर लागू अन्य अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत शासित होंगे। नियुक्ति उपरान्त वे 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकर्ताओं के लिए लागू "नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम" के अनुरूप पेंशन संबंधी लाभों को पाने के पात्र होंगे।

प्रत्येक क्षेत्र/सेक्टर में शामिल किए गए राज्य इस प्रकार हैं

पूर्वी सेक्टर	पश्चिमी सेक्टर	उत्तरी सेक्टर	दक्षिणी सेक्टर	उत्तरी पूर्वी सेक्टर
1 बिहार	4 छत्तीसगढ़	11 चंडीगढ़	20 आंध्रप्रदेश	27 अंडमान निकोबार
2 झारखंड	5 दादरा नगर हवेली	12 दिल्ली	21 कर्नाटक	28 अरुणाचल प्रदेश
3 उड़ीसा	6 दमन एवं दीव	13 हिमाचल प्रदेश	22 केरल	29 असम
	7 गोवा	14 हरियाणा	23 लक्षद्वीप	30 मणिपुर
	8 गुजरात	15 जम्मू-कश्मीर	24 पांडीचेरी	31 मेघालय
	9 मध्यप्रदेश	16 पंजाब	25 तमिलनाडू	32 मिजोरम
	10 महाराष्ट्र	17 राजस्थान	26 तेलंगाना	33 नागालैंड
		18 उत्तराखंड		34 सिक्किम
		19 उत्तरप्रदेश		35 त्रिपुरा
				36 पश्चिमी बंगाल

कांस्टेबल/ट्रेड्समेन की क्षेत्र-वार/ ट्रेड-वार / श्रेणी-वार रकितियां इस प्रकार हैं :-

पद का नाम	श्रेणी	पूर्वी सेक्टर			पश्चिमी सेक्टर			उत्तरी सेक्टर			दक्षिणी सेक्टर			उत्तरी पूर्वी सेक्टर			कुल योग
		पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	पिछली बकाया	मौजूदा	कुल	
नाई	सामान्य	0	1	1	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	1	1	11
	अनु.जाति	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	03
	अ.ज.जा	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
	अ.पि.व.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	04
	कुल	0	2	2	0	6	6	0	6	6	0	4	4	0	2	2	20
मोची	सामान्य	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अ.ज.जा	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	03
	अ.पि.व.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	02
	कुल	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	0	1	1	07
रसोईया	सामान्य	0	3	3	0	4	4	0	9	9	0	5	5	0	2	2	23
	अनु.जाति	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	2	2	07
	अ.ज.जा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अ.पि.व.	0	2	2	0	3	3	0	4	4	0	3	3	0	1	1	13
	कुल	0	6	6	0	9	9	0	15	15	0	9	9	0	5	5	44
माली	सामान्य	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	02
पेंटर	सामान्य	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
	अनु.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
सफाईवाला	सामान्य	0	2	2	0	2	2	0	4	4	0	3	3	0	2	2	13
	अनु.जाति	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	03
	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	02
	अ.पि.व.	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0	07
	कुल	0	4	4	0	5	5	0	8	8	0	5	5	0	3	3	25
धोबी	सामान्य	0	2	2	0	3	3	0	3	3	0	2	2	0	2	2	12
	अनु.जाति	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	04
	अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	01
	अ.पि.व.	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	1	1	08
	कुल	0	4	4	0	5	5	0	7	7	0	6	6	0	3	3	25
कुल योग	0	18	18	1	27	28	0	38	38	1	25	26	0	14	14	124	

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां

:: 2 ::

क्रमांक	पद का नाम	कुल रिक्तियां
1	नाई	2
2	रसोइया	5
3	सफाईवाला	3
4	धोबी	3
	कुल	13

टिप्पणी

- (1) यदि कोई उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलता है तो उस स्थिति में इनके लिए आरक्षित रिक्तियां सीधे खुले बाजार (ओपन मार्केट) के आवेदकों से भरी जाएंगी।
- (2) यह भर्ती केवल भारतीय पुरुष नागरिकों के लिए खुली है।
- (3) ये रिक्तियां अंतिम चयन के समय बिना कोई कारण बताए परिस्थितियों के अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती हैं। वर्तमान सरकारी आदेशों तथा गृह मंत्रालय द्वारा यथासूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध है।
- (4) ये पद अस्थाई हैं किन्तु स्थाई किए जा सकते हैं।
- (5) बल की स्थानांतरण नीति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की देश के किसी भी भाग में तैनाती की जा सकती है।
- (6) वर्ष 1984 के दंगों में तथा गुजरात में वर्ष 2002 में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित/बच्चे तथा पूर्व सैनिक किसी भी सेक्टर में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चेतावनी : अनुचित साधनों का प्रयोग तथा प्रतिरूपण :-

- 1) कैओसुब का प्रयास निष्पक्षता और बिना भेदभाव के प्रतिबद्ध, वफादार और उत्तम उम्मीदवारों की भर्ती करने का रहा है। इसलिए उम्मीदवारों को "दलालों से सावधान" रहने की सलाह दी जाती है।
- 2) किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने तथा प्रतिरूपण का सहारा लेने पर उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दी जाएगी तथा कानूनी प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी का प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी पर भविष्य में कैओसुब में भर्ती हेतु आवेदन देने के लिए रोक लगा दी जाएगी।
- 3) किसी तरह की कोई भी सिफारिश करने पर अभ्यर्थी को चयन से बाहर कर दिया जाएगा।
- 4) यदि कोई व्यक्ति दलाल के रूप में कार्य करता है अथवा दलाल की सहायता लेता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

2. पात्रता मानदंड : सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए

आयु :

18 से 23 वर्ष के बीच।

- (क) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 01.08.2016 होगी इसमें सभी ट्रेड के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आवेदक भी शामिल हैं।

- (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक निवास करने वालों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी। इस श्रेणी के अन्तर्गत छूट का दावा प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को जिला मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रह चुके हैं अथवा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक जम्मू और कश्मीर में रहने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रितों और बच्चों को भी अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी

- (ग) **बच्चे अर्थात्** (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) **परिवार के आश्रित सदस्य** अर्थात् (क) पत्नी अथवा (ख) बच्चे अथवा (ग) भाई और बहन जहां दंगों में मारा गया व्यक्ति अविवाहित हो और वे दंगों में मारे जाने के समय उस पर पूरी तरह आश्रित हो, ऐसे मामले में 05 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पात्र हैं। यह छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अतिरिक्त होंगी।

नोट :

यह विज्ञापन आरक्षक/ट्रेड्समैन (पुरुष) की भर्ती से संबंधित है। अतः 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के पुरुष आश्रितों और बच्चों में केवल पुरुष आवेदकों पर ही विचार किया जाएगा। इस श्रेणी के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट पाने के लिए आवेदकों को इस आशय का जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्र में व्यक्ति मारा गया था, के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (घ) उपरोक्त के अलावा सरकारी आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष तक की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट होगी।

ii) **विभागीय आवेदकों के लिए :-**

केओसुब के आरक्षक/ट्रेड्समैन जो वर्तमान ट्रेड को बदलना चाहते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट (सामान्य श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए 45 वर्ष) है बशर्ते कि बल में न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित सेवा की हो, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी की हो, दंडरहित रिकार्ड हो तथा पूरी सेवा के दौरान न्यूनतम वार्षिक ग्रेडिंग "औसत" से ऊपर हो।

iii) **केवल विभागीय कार्मिकों के बच्चों के लिए**

सेवारत केओसुब कार्मिकों के बच्चे जो उनके साथ रह रहे हैं वे या तो अपने गृह निवास राज्य से अथवा उस राज्य से जिसमें सेवारत व्यक्ति आवेदन प्रस्तुति के समय वहां तैनात हों आवेदन कर सकते हैं। इस रियायत का लाभ उठाने के लिए उन्हें यूनिट कमांडर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा मूल निवास स्थान प्रमाण-पत्र की प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करनी होगी।

ब) शैक्षणिक पात्रता

सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए

अभ्यर्थी ने कुशल ट्रेड (अर्थात नाई, मोची, रसोईया, पेंटर, माली तथा धोबी) के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित कार्मिकों को वरियता दी जाएगी। अकुशल ट्रेड (अर्थात सफाईवाला) के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

राज्य शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अलावा शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना जिसमें ऐसी शैक्षणिक योग्यता केन्द्र सरकार में रोजगार हेतु मैट्रिक/दसवीं कक्षा के समकक्ष घोषित की गई हो उस अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।

ग) शारीरिक मानक

श्रेणी	लम्बाई	सीना
(i) सामान्य/अनु.जा व अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए (केवल नीचे (ii) में उल्लेखित को छोड़कर)	170 सेमी.	न्यूनतम 80 सें.मी. 05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाव सहित अर्थात 80-85 सें.मी
(ii) निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले आवेदकों के लिए मानकों में छूट (क) गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम नागालैण्ड अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा, मिजोरम मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी परन्तु परिशिष्ट-‘झ’ के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। उपर्युक्त मानक [पैरा 2 (ग) (ii) (क), सभी श्रेणियों (अर्थात सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु.जाति) के लिए लागू है	165 सेमी.	न्यूनतम 78 सें.मी. 05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाव सहित अर्थात 78-83 सें.मी
(ख) अनुसूचित जन जातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थी	162.5 सेमी.	न्यूनतम 76 सें.मी. 05 सें.मी. के न्यूनतम फुलाव सहित अर्थात 76-81 सें.मी
टिप्पणी : पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों में पूरी छूट है।		

घ) चिकित्सा मानक

(i) दृष्टि : दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टता 6/6 और 6/9 बिना सही किए हुए अर्थात बिना चश्मे के।

(ii) अभ्यर्थियों को संहत जानुओं, चपटे पैर, स्फीति शिराओं अथवा आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। वे अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हों जो कर्तव्यों के प्रभावी पालन में बाधा पहुंचाते हैं।

ङ) निवास प्रमाण पत्र

(i) किसी राज्य से जुड़े आवेदक को अपना निवासी प्रमाण-पत्र उस सेक्टर में प्रस्तुत करना है जहां वे आवेदन कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को निवास प्रमाण पत्र देने से छूट प्राप्त है। वे ग्राम सरपंच/नम्बरदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ संसदीय चुनाव क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदाता सूची में आवेदक के नाम को दर्शाने वाली मतदाता सूची की प्रति संलग्न करेंगे।

(ii) 1984 के दंगों में तथा गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रित तथा बच्चों को निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है वे अपने निवास स्थान पर विचार किए बिना किसी भी सेक्टर में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें उस जिला क्लेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से **प्रमाण पत्र प्रस्तुत** करना होगा जहां व्यक्ति मारा गया है।